भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 776

उत्तर देने की तारीख : 02.12.2021

ऋण गारंटी योजना

776. श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्.गी:
श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:
श्री राजबहादुर सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** अधिनस्थ ऋण सबऑर्डिनेट लॉन हेतु ऋण गारंटी योजना के लिए आबंटित निधियों सहित इसके लक्ष्य, उद्देश्य, अनुमानित परिणामों का ब्यौरा क्या है;
(ख) : योजना के कार्यान्वयन से अब तक लाभार्थियों का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) **:** क्या सरकार योजना में लाभार्थियों की संख्या (अपटेक) में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) : सरकार ने आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत दबावग्रस्त एमएसएमई अर्थात एसएमए-2 और एनपीए खातों, जो ऋणप्रदाता संस्थाओं के बहियों में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के पात्र है, के प्रवर्त्तकों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने के विचार से 2020 में अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम के तहत प्रवर्तक, एमएसएमई में ऋण को अर्ध इक्विटी अथवा अधीनस्थ ऋण के रूप में समावेशित करेंगे। इस स्कीम के लिए अनुमोदित परिव्यय 4,000 करोड़ रुपए है।

(ख) : लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : स्कीम का ऑफ-टेक बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) 31 मार्च, 2022 तक स्कीम की वैधता को बढ़ाना; (ii) हितधारकों के साथ परामर्श श्रृंखला आयोजित करना; (iii) इस स्कीम के प्रचालन दिशानिर्देशों में से कुछ में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं; और (iv) बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन करना आदि जैसे उपाय शामिल हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 776 जिसका उत्तर 02.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 (31.10.2021 तक) के लिए सीजीएसएसडी अनुमोदित गारंटी के आंकड़े

		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22 (31.10.2021 तक)	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	1	0.04
2	आंध्र प्रदेश	20	3.69	10	0.49
3	अरूणाचल प्रदेश	1	0.36	0	0.00
4	असम	8	1.23	1	0.02
5	बिहार	15	0.37	2	0.11
6	चंडीगढ़	4	0.22	3	0.37
7	छत्तीसगढ़	10	0.53	1	0.02
8	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00
9	दमन और दीव	2	0.14	0	0.00
10.	दिल्ली	11	1.15	10	2.25
11.	गोवा	0	0.00	0	0.00
12.	गुजरात	12	0.87	12	1.54
13.	हरियाणा	4	0.23	2	0.71
14.	हिमाचल प्रदेश	10	1.03	8	0.47
15.	जम्मू और कश्मीर	18	1.12	8	0.31
16.	झारखंड	6	0.20	15	1.47
17.	कर्नाटक	32	6.50	15	2.29
18.	केरल	10	2.21	17	1.63
19	लद्दाख	0	0.00	0	0.00
20	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
21	मध्य प्रदेश	35	3.55	7	0.12
22	महाराष्ट्र	46	6.15	33	3.80
23	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
24	मेघालय	0	0.00	0	0.00
25	मिजोरम	2	0.01	0	0.00
26	नागालैंड	0	0.00	0	0.00
27	ओडिशा	23	0.84	16	0.58
28	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00
29	पंजाब	46	5.81	32	2.29
30	राजस्थान	4	0.93	24	0.84
31	सिक्किम	0	0.00	0	0.00
32	तमिलनाडु	74	9.10	14	1.92
33	तेलंगाना	26	3.45	5	1.02
34	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00
35	उत्तर प्रदेश	37	3.81	24	2.11
36	उत्तराखंड	2	0.22	11	1.28
37	पश्चिम बंगाल	15	1.62	10	0.44
	कुल	**473**	**55.33**	**281**	**26.14**

स्रोत: सीजीटीएमएसई